संचिका सं0–7 / विविध–45–02 / 2025– 321(78)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 06/08/2026

विषयः– लोक निजी भागीदारी के तहत् संचालित जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, कंकड़बाग, पटना एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच हुए Concession Agreement के अनुसार अस्पताल में राज्य सरकार के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत शैय्या का कोटा पर चयनित भर्त्ती हुए मरीजों के ईलाज के क्रम में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान–गैर–वेतन मद में बजटीय उपबंध से प्राप्त राशि से रू० 10,05,00,000 / –(रूपये दस करोड़ पाँच लाख) मात्र एकरारनामा की कंडिका–29.5 के तहत् खोले गये Escrow Account में अंतरण की व्यय निमित आवंटन।

आदेशः–स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जय प्रभा अस्पताल, कंकडबाग, पटना के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर लोक निजी भागीदारी योजना (PPP) के तहत् अतिविशिष्ट अस्पताल विकसित करने एव संबंधित निविदा दस्तावेज (Bid Document) निष्पादित करने की स्वीकृति मे मंत्रिपरिषद् की दिनांक–02.12.2014 की बैठक की मद सख्या–27 में प्राप्त है । पुन. जय प्रभा अस्पताल, कंकडबाग, पटना के परिसर में उपलब्ध 7.00 एकड रिक्त भूमि में लोक निजी भागीदारी के तहत् अतिविशिष्ट अस्पताल स्थापित करने हेतु सफल निविदादाता Global Health Private Limited (Medanta) को निविदा शर्त्तो के आधार पर Bid Document के अधीन 33 वर्षो के उपयोग की अनुमति एव अतिविशिष्ट अस्पताल, Design, Build, Finance, Operate & Transfer के माध्यम से, निर्माण एवं संचालन हेतु उपलब्ध कराने, Letter of Award जारी करने तथा इस हेतु Concessionaire के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनाक–18.08.2025 की बैठक में मद सख्या–06 मे प्राप्त है ।

2— उक्त के आलोक मे लोक निजी भागीदारी के तहत् संचालित जयप्रभा मेदाता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, कंकडबाग, पटना एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच किये गये Concession Agreement की कडिका—29 के तहत् एकरारनामा अवधि तक विभाग को चिन्हित भर्ती हुए मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ (Healthcare Services) पर आने वाले व्यय की राशि का भुगतान किया जाना है एवं यह राशि कंडिका—29 5 के तहत् Escrow Account में अतरित किया जाना है। उक्त मामले मे दिनांक—26.06.2025 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में जयप्रभा मेदाता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, कंकडबाग, पटना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन में चिन्हित मरीजों के ईलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु गठित Escrow Account में विभाग की ओर से अंतरण हेतु बजट में अलग से प्रावधान करने का निदेश प्राप्त है एवं इससे संबंधित स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0—690(10) दिनांक—14.06 2023 एवं विभागीय आदेश स0—769(10) दिनाक—04.07.2023 एवं 217(10) दिनांक—07.03.2024 निर्गत किया गया है ।

3— उक्त के आलोक में निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना के पत्रांक—106 दिनांक—02.06.2026 द्वारा किये गए अनुरोध के मद्देनजर Concessionaire Agreement के प्रावधानों के अनुरूप स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में सहायक अनुदान—गैर—वेतन मद में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक—277(7बी), दिनांक—10.07.2026 के द्वारा कुल रू0 15,00,00,000/—(रूपये पन्द्रह करोड) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान में उपबंधित राशि में से रू० 10,05,00,000/—(रूपये दस करोड पॉच लाख) मात्र एकरारनामा की कंडिका—29 5 के तहत् खोले गये Escrow Account में अंतरण की व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4— इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या—20. मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय— उपशीर्ष—0041 जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, ककडबाग, पटना विपत्र कोड—20-2210011100041, विषय शीर्ष—31 06— सहायक अनुदान—गैर वेतन मद मे बजटीय उपबंध से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5— जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना को सहायक अनुदान की यह स्वीकृति वित्त विभाग के सकल्प सं0—2199/वि0 दिनांक—24 03 2017, संकल्प सं0—4443/वि0 दिनांक—14.06.2018, सकल्प स0—12888/वि0, दिनाक—03.12.2024, वित्त विभागीय पत्रांक—2561/वि0(2), दिनांक—17 04.1998 तथा विभाग के द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निर्गत विभिन्न परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है।

6— इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

7— अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक मे राशि की निकासी कर खाता अंतरण के माध्यम से जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना को निम्नवत राशि अतरित करायेगे :—

खाता का नाम— JAY PRABHA MEDANTA ESCROW ACCOUNT

बैक का नाम— STATE BANK OF INDIA

शाखा— PBB Doctors Colony, Kankarbagh Patna

बैक खाता सख्या—41310499002

IFSC- SBIN0004445

निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना चिन्हित मरीजो के ईलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय अधिसूचना सं0–690(10) दिनांक–14.06.2023 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

8– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9– उक्त योजना को दिनांक–08.06.2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की कार्यवाही के ज्ञापांक–248(7बी०) दिनांक–08.06 2026 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनाक–24.06.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापाक–658/लो0वि0/यो0वि0 दिनांक–24 06.2026 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है ।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11– राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.8.26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–45– 02/2025–391(7B)/**स्वा0,** **पटना, दिनांक**–06/08/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7B एव 10/ संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.8.26.

सरकार के अपर सचिव